कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, धौलपुर

क्रमांक : स्था/2020/ 61 दिनांक : 03.05.2020

:: आदेश ::

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर की ओर से जारी परिपत्र क्रमांक 14/पीआई/2020 दिनांक 14.04.2020 की निरन्तरता में जारी परिपत्र क्रमांक 17/पीआई/2020 दिनांक 02.05.2020 की अनुपालना करते हुए धौलपुर न्यायक्षेत्र में लंबित एवं संस्थित होने वाले अत्यावश्यक प्रकृति के कार्य यथा जमानत प्रार्थना पत्र, रिमांड प्रार्थना पत्र, स्थगन प्रार्थना पत्र, सुपुर्दगी प्रार्थना पत्र, 164 सीआरपीसी एवं मृत्युकालीन कथन लेखबद्ध किए जाने आदि कार्य हेतु मुख्यालयवार निम्न सारणी में अंकित अधिकारीगण को उनके सम्मुख कार्य दिवसों पर सुबह 08:30 बजे से लेकर 11:00 बजे तक सुनवाई हेतु अधिकृत किया जाता है :–

धौलपुर मुख्यालय :–

क्र. सं.	दिनांक	पीठासीन अधिकारी का नाम, पद एवं मोबाइल नंबर (अपर जिला न्यायाधीश स्तर)	पीठासीन अधिकारी का नाम, पद एवं मोबाइल नंबर (मजिस्ट्रेट स्तर)
1.	04.05.2020	श्री उमाशंकर शर्मा, न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय धौलपुर मो.नं. 8279081377	श्री महावीर महावर, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, धौलपुर मो.नं. 8279081362
2.	05.05.2020		श्री नीरज कुमार मित्तल, न्यायिक मजिस्ट्रेट, धौलपुर मो.नं. 8279081362
3.	06.05.2020		
4.	07.05.2020		
5.	08.05.2020		श्री महावीर महावर, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, धौलपुर मो.नं. 8279081362
6.	11.05.2020	श्री अमित कुमार विशिष्ट न्यायाधीश, अ.जा/अ.ज.जा. अत्याचार निवारण प्रकरण, धौलपुर मो.नं. 8279081377	श्री महावीर महावर, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, धौलपुर मो.नं. 8279081362
7.	12.05.2020		श्री नीरज कुमार मित्तल, न्यायिक मजिस्ट्रेट, धौलपुर मो.नं. 8279081362
8.	13.05.2020		
9.	14.05.2020		
10.	15.05.2020		श्री महावीर महावर, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, धौलपुर मो.नं. 8279081362
11.	16.05.2020		श्री नीरज कुमार मित्तल, न्यायिक मजिस्ट्रेट, धौलपुर मो.नं. 8279081362

बाड़ी मुख्यालय :–

क्र. सं.	दिनांक	पीठासीन अधिकारी का नाम, पद एवं मोबाइल नंबर (अपर जिला न्यायाधीश स्तर)	पीठासीन अधिकारी का नाम, पद एवं मोबाइल नंबर (मजिस्ट्रेट स्तर)
1.	04.05.2020 से 08.05.2020 तथा 11.05.2020 से 16.05.2020	श्री सुंदरलाल बंशीवाल, अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बाड़ी मो.नं. 8279081383	श्री चेतन कुमार गोयल, अति.मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 02, बाड़ी मो.नं. 8279081376

राजाखेड़ा मुख्यालय :–

क्र. सं.	दिनांक	पीठासीन अधिकारी का नाम, पद एवं मोबाइल नंबर (मजिस्ट्रेट स्तर)
1.	04.05.2020 से 08.05.2020 तथा 11.05.2020 से 16.05.2020	श्री अभिषेक कुमार भार्गव, न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजाखेड़ा **मो.नं. 8279081381**

नोट :

1. अत्यावश्यक कार्य से संबंधित नवीन प्रार्थना पत्र/आवश्यक प्रकृति के प्रकरण संबंधित न्यायालयों की ई–मेल आईडी पर इस शर्त के साथ पेश किए जा सकते है कि न्यायालय का नियमित कार्य सुचारू होने के पश्चात ई–मेल पर पेश किए गए प्रकरणों/प्रार्थना पत्रों की हार्ड कॉपी पेश कर दी जावेगी। ई–मेल के माध्यम से प्रस्तुत किए जाने वाले प्रकरण/प्रार्थना पत्रों पर अधिवक्तागण द्वारा अपने ***vidyo/whatsapp/Skype/Email-Id*** अंकित करना आवश्यक होगा। अन्यथा इनके अभाव में उक्त प्रार्थना पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा।
2. आवश्यक प्रकृति के मामलों की सुनवाई हेतु जिस न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को अधिकृत किया गया है उस न्यायालय के पीठासीन अधिकारी आवश्यक स्टाफ को न्यायालय में उपस्थित रहने बाबत पृथक रूप से आदेश जारी कर अधिकृत करेंगे। शेष स्टाफ को कार्यालय में उपस्थित रहने की आवश्यकता नहीं है परन्तु वे कार्यालय समय में अपने आवास पर ही उपलब्ध रहेंगे एवं मुख्यालय का परित्याग नहीं करेंगे।
3. उक्त पीठासीन अधिकारीगण के विशेष परिस्थितियों में अवकाश पर रहने की स्थिति में उनके लिंक पीठासीन अधिकारी कार्य का संपादन करेंगे।
4. इसके अतिरिक्त मई माह के अवकाशों में रिमांड ड्यूटी हेतु मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट धौलपुर द्वारा अधिकृत किए गए अधिकारीगण के संबंध में आदेश यथावत रहेंगे।
5. दिनांक 17.05.2020 तक जिन मजिस्ट्रेट स्तर के अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है, वही अधिकारी वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए रिमांड पेपर पर न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे अभियुक्तगण के रिमांड को बढ़ाएंगे।
6. ग्राम न्यायालय बसेड़ी पर लंबित एवं संस्थित होने वाले आवश्यक कार्य, बाड़ी मुख्यालय पर ड्यूटी हेतु नियुक्त किए गए संबंधित मजिस्ट्रेट न्यायालय के समक्ष पेश किए जाएंगे एवं उनके द्वारा सुने जाएंगे।
7. कोविड–19 के सम्बन्ध में इस कार्यालय को प्रतिदिन भेजे जाने वाली सूचना दिनांक 04.05.2020 से आगामी आदेश तक समय 11:00 ए.एम. पर आवश्यक रूप से भिजवाई जावे।
8. उक्त आदेश में धौलपुर मुख्यालय पर सेशन स्तर पर अधिकृत किये गये अधिकारीगण के साथ कार्य करने वाले कर्मचारीगण की ड्यूटी आदेश रोटेशन के आधार पर इस कार्यालय द्वारा पृथक से जारी किये जावेंगे तथा मजिस्ट्रेट स्तर के न्यायालय में कर्मचारीगण की ड्यूटी आदेश मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, धौलपुर द्वारा पृथक से जारी किये जावेंगे। अन्य मुख्यालयों पर कर्मचारीगण की ड्यूटी बाबत् आदेश सम्बन्धित अधिकृत अधिकारीगण द्वारा ही जारी किये जावेंगे।
9. इसी के साथ न्यायालय में पुलिसकर्मीगण की आवाजाही और प्रस्तुत दस्तावेजात् से विभिन्न राज्यों में कोरोना संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुये जिला पुलिस अधीक्षक, धौलपुर यह सुनिश्चित करेंगे कि रिमाण्ड आदि आवश्यक कार्य के लिये रिमाण्ड पेपर पी.डी.एफ. प्रारूप में ऑनलाईन पेश किये जावे तथा मुल्जिम की न्यायालय में उपस्थिति उपरोक्त डिजिटल माध्यम से हो। जमानत के प्रकरण में केस डायरी से सम्बन्धित तथ्यात्मक विवरण, मुल्जिम के पुराने मुकदमों की स्थिति, मुलजिम की मेडीकल रिपोर्ट, मुलजिमान के परिजनों को दी गयी सूचना के दस्तावेज, फर्द गिरफ्तारी, फर्द बरामदगी एवं पीठासीन अधिकारी द्वारा चाहे गये अन्य दस्तावेज इत्यादि पी.डी.एफ. प्रारूप में केवल ऑनलाईन माध्यम से प्रेषित किये जावे। जिन मामलो में आरोप पत्र की अवधि समाप्त हो रही है उन चालानों को भी पी.डी.एफ. के माध्यम से पेश करे तथा न्यायालय के नियमित खुलने पर उनकी मूल प्रति न्यायालय में पेश की जावे।

3/5/20

जिला एवं सेशन न्यायाधीश
धौलपुर

क्रमांक : स्था / 2020 / 2155-2183 दिनांक : 3-5-2020

प्रतिलिपि निर्देशानुसार निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. श्रीमान पीठासीन अधिकारी, समस्त न्यायालय धौलपुर न्यायक्षेत्र
2. श्रीमान अध्यक्ष, अभिभाषक संघ, धौलपुर / बाड़ी / राजाखेड़ा
3. श्रीमान पुलिस अधीक्षक, धौलपुर को बिन्दु सं0 9 की पालनार्थ प्रेषित है।
4. श्रीमान अधीक्षक, जिला कारागृह, धौलपुर
5. कम्प्यूटर लिपिक को भेजकर लेख है कि आदेश को तुरंत जिला न्यायालय की अधिकृत बेवसाईट एवं समस्त न्यायालयों की ई–मेल आईडी पर अपलोड करें।
6. आदेश / संबंधित पत्रावली

आज्ञा से

वरिष्ठ मुंसरिम
जिला एवं सेशन न्यायालय
धौलपुर